

**// आदेश //**

म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-५-१८१/२०१५/५५-२ दिनांक १६/१२/२०१५ एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्रमांक १३१६-२६/स्था/अराज/२०२० दिनांक २९/०९/२०२० तथा म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ-२/२०/२०२०/१/५५ भोपाल दिनांक ०९/०४/२०२२ के बिंदु क्रमांक ०१ एवं ०२ के परिपालन में क्षयरोग चिकित्सालय, भोपाल में रिक्त ०८ पदों के विरुद्ध निम्नानुसार अनुबंधित नियुक्ति छात्राओं को नियुक्ति प्रदान कर आपकी पदस्थापना क्षयरोग चिकित्सालय, भोपाल में की जाती है।

क्र.	अनुबंधित छात्रा का नाम	पिता का नाम	संवर्ग	पता
१	हर्षिता नामदेव	श्री शैलेष नामदेव	अनारक्षित	बी १/१५, दुर्गा नगर, कॉलोनी, शिवाजी नगर, भोपाल।
२	जूदी मैथ्यू	श्री बिजू देवासिया	अनारक्षित	एम.आई.जी.-५४, रत्नागिरी अयोध्या बायपास रोड, भोपाल।
३	नमरा खानम	श्री मो.जावेद अख्तर	अनारक्षित	म.नं.-१३, अब्बास नगर, निजामुद्दीन कॉलोनी, बीएचईएल, भोपाल।
४	शिवानी राजौरे	श्री कैलाश राजौरे	अनुसूचित जाति	म.नं.-५, नर्सेस हॉस्टल हमीदिया कैम्पस हॉस्पिटल, भोपाल।
५	चेतना मालवीय	श्री मनमोहन मालवीय	अनुसूचित जाति	म.नं. ३९५, वार्ड क्र. ५२, बागसेवनिया, भोपाल-४६२०४३
६	एकता सिंह	श्री संजय सिंह	अनुसूचित जन जाति	पुराना घण्टा घर गली संत रविदास वार्ड खुरई सागर-४७०११७
७	मीना उर्झिके	श्री सुनील उर्झिके	अनुसूचित जन जाति	फॉरेस्ट कॉलोनी खामला तह-भैंसदेही, जिला-बैतूल-४६०२२०
८	शहनाज बानो	श्री अब्दुल रहीस	अन्य पिछड़ा वर्ग	फ्लेट ७३, वरेण्यम टॉवर, विवेकानंद नगर, प्लाट नं. ७७, रजत कॉम्प्लेक्स के पीछे, भोपाल-४६२०२२

**नियुक्ति की शर्तें:-**

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है, यह मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय आदर्श सेवा नियम 2018 (परिचारिका संवर्ग) के तहत इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तों के अधीन होगी।
2. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति इस संस्था की सेवा शर्तों के अधीन है। संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकते हैं।
3. उक्त नियुक्ति प्रथम ०३ माह के लिए निश्चित पारिश्रमिक रूपये १०,०००/- प्रतिमाह पर की जाती है।
4. तीन माह पश्चात स्टाफ नर्स की कार्य मूल्यांकन एवं कार्य संतोषजनक होने के पश्चात मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक सी.३-१३/२०१९/३/एक भोपाल दिनोंक १२-१२-२०१९ के बिंदु (v) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम १९६१ के नियम ८ (१)के तहत सीधी भर्ती के पद पर प्रथमतः तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।
5. चयनित प्रत्याशी को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा की पुष्टि मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कॉसिल, भोपाल द्वारा कराई जावेगी यह नियुक्ति इस सशर्त पर प्रदान की जाती है, कि यदि कोई त्रुटि/कमी पाई गई तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जावेगा।
6. चयनित प्रत्याशी को न्यूनतम ०३ वर्ष की सेवाएं देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर उसे ०१ वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि इस गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.) में चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया राशि की भांति वसूली योग्य होगी। बॉण्ड अवधि पूर्ण होने से पहले यदि आवेदक सेवा से त्याग पत्र देता है तो उसको एक वर्ष के वेतन/मानदेय राशि अनिवार्य रूप से जमा कराने के उपरांत ही त्यागपत्र स्वीकृत किया जावेगा। तीन वर्ष सेवा अवधि पूर्ण होने के बाद यदि आवेदक सेवा से त्याग पत्र प्रस्तुत करता है, उसको एक माह पूर्व नोटिस देना होगा यदि एक माह का नोटिस नहीं देता है तो उसको एक माह का वेतन जमा करना अनिवार्य होगा।
7. चयनित प्रत्याशी को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से ०७ दिवस के अंदर (शासकीय कार्य दिवस में) कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव समाप्त हो जायेगा। कार्यभार ग्रहण हेतु किसी प्रकार के मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
8. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के १५ दिवस के अंदर मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य का परीक्षण कराना होगा एवं परीक्षण संबंधी उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने एवं उपयुक्त पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा।
9. चिकित्सा महाविद्यालय के संविलियन एवं संवर्धन नियमों के अंतर्गत स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की पात्रता शासन नियमों के तहत होगी।

- चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करते समय उपस्थित प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियाँ एवं एक-एक छायाप्रतियाँ (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कं. एफ-7-2 / 96 / आप्र/1 दि 1/08/96 के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश का स्थाई डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में ही दिया जाना अनिवार्य है। एवं मध्यप्रदेश का स्थाई डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करवाया जायेगा।
12. चयनित प्रत्याशी को आदर्श सेवा नियम 2018 के तहत अवकाश लेने की पात्रता होगी। नियुक्ति में पेंशन, उपादान एवं तत्संबंधी अन्य किसी प्रकार के लाभ देय नहीं होंगे।
13. चयनित प्रत्याशी म0प्र0सिविल सेवा आचरण नियमों के अधीन शासित होंगे। संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनीतिक अथवा किसी भी प्रतिबंधित गतिविधियों एवं हड्डताल आदि से भाग लेने की अनुमति नहीं होगी एवं संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
14. नियुक्ति व्यक्ति को 100/- रुपये के स्टाम्प में उपस्थित प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
15. पुलिस सत्यापन में अयोग्य पाये जाने पर बिना किसी सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
16. नियुक्ति व्यक्ति को उपस्थित के समय-पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
17. शासन द्वारा समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्त परिवर्तित की जा सकती है। यह परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तों में भी हो सकता है।
18. भविष्य में यदि कभी भी अहंता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेगी।
19. चयनित उम्मीदवारों को छः माह के अंदर कम्प्यूटर में Window Basic एवं Microsoft Office का ज्ञान अर्जित करना अनिवार्य है एवं आपको कम्प्यूटर पर कार्य करने की दक्षता दर्शानी होगी।
20. इस नियुक्ति में आरक्षण के प्रावधानों का समायोजन आरक्षण रोस्टर अनुमोदन के उपरांत रोस्टर अनुसार किया जावेगा।
21. चयनित उम्मीदवार बिना पूर्व स्वीकृति के छुटियों पर न जा सकेगा। अवकाश नियमों पूर्णतः पालन करना अनिवार्य होगा।
22. चयनित उम्मीदवार इस संस्था के अन्तर्गत कार्य करते हुए किसी अन्य संस्था में रोजगार के लिये सीधे आवेदन नहीं दे सकते हैं।
23. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) तथा मध्यप्रदेश शासन के अन्य नियम लागू होंगे।
24. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-9/3/2005/नियम/चार दिनांक 2-4-2005 के अनुसार आप
- पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना के एफ-5/1/2005/नियम/चार दिनांक 2-4-2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नहीं होंगे।
25. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 के उप नियम (6) जिसमें प्रावधान अनुसार 26 जनवरी 2001 के बाद दो बच्चों से अधिक होने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त माना जावेगा।
26. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के अन्तिम आदेश के अधीन होगी।

↑  
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

पृ.क्रमांक 6795-809 एम.सी/अराज-5/23

भोपाल, दिनांक 15/02/2023

प्रतिलिपि:-

- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- सभांगायुक्त एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल।
- आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्य प्रदेश भोपाल।
- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्य प्रदेश, सतपुडा भवन, भोपाल।
- मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, जयप्रकाश चिकित्सालय, भोपाल।
- पुलिस अधीक्षक, जिला भोपाल।
- अधीक्षक क्षयरोग चिकित्सालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त निर्देशानुसार प्रमाण पत्रों की जॉच उपरान्त कार्यभार ग्रहण कराये तथा उपरिथित की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।
- आदेश में उल्लेखित चयनित संबंधित उम्मीदवार की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- आदेश नस्ति/व्यक्तिगत नस्ति।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल